भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1417 #

गुरूवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा

1417 # श्री महेंद्र भट्ट:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं; और

(ख) उन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को पिछले तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है, ताकि पर्यटन सृजन करने वाले बाज़ारों में भारत को एक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके तथा वैश्विक पर्यटन बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। पर्यटन संवर्धन उद्देश्यों की प्राप्ति एकीकृत विपणन एवं प्रचार रणनीति तथा ट्रैवल ट्रेड, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से संचालित एक समन्वित अभियान के माध्यम से की जाती है। प्रचार गतिविधियों में ट्रैवल मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी; रोड शो, इंडिया ईवनिंग्स, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन; भारतीय व्यंजनों एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन और उन्हें प्रोत्साहित करना; टूर ऑपरेटरों को ब्रोशर उपलब्ध कराना, वैश्विक मीडिया अभियान चलाना तथा एयरलाइनों, टूर ऑपरेटरों और अन्य संगठनों के साथ संयुक्त विज्ञापन/संयुक्त प्रचार आदि शामिल हैं।

(ख): पर्यटन मंत्रालय घरेलू संवर्धन एवं प्रचार सहित आतिथ्य (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों, महोत्सवों तथा पर्यटन-संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। यह योजना राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को विशिष्ट पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा देने तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक पर्यटन आदि सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों को सुदृढ़ करने में सहायता करती है। साथ ही, यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने और सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा देती है। पिछले तीन वर्षों में प्रोत्साहित किए गए आयोजनों का राज्य-वार विवरण, भारत की विविध पर्यटन पेशकशों को बढ़ावा देने के प्रति मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान डीपीपीएच योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान किए गए विवरण सहित राज्य-वार मेलों और महोत्सवों की सूची **अनुबंध** में दर्शायी गई है।

अनुबंध

श्री महेंद्र भट्ट द्वारा पर्यटन को बढ़ावा के संबंध में दिनांक 30.07.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 1417 # के भाग (ख) के उत्तर में **विवरण**

मेलों और महोत्सवों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को स्वीकृत राशि

2023-2024

क्र.सं.	**राज्य**	**मेलों और महोत्सवों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को स्वीकृत राशि (लाख रु. में)**
1.	मध्य प्रदेश	67.12
2.	मेघालय	25.00
3.	नागालैंड	35.00
4.	त्रिपुरा	22.35
5.	तमिलनाडु	25.00
6.	उत्तराखंड	25.00
7.	उत्तर प्रदेश	25.00

2024-2025

क्र.सं.	**राज्य**	**मेलों और महोत्सवों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को स्वीकृत राशि (लाख रु. में)**
1.	अरुणाचल प्रदेश	50.00
2.	हरियाणा	30.00
3.	हिमाचल प्रदेश	25.00
4.	कर्नाटक	40.00
5.	मध्य प्रदेश	80.00
6.	मेघालय	41.00
7.	मिजोरम	50.00
8.	नागालैंड	80.00
9.	त्रिपुरा	30.00
10.	तमिलनाडु	80.00
11.	तेलंगाना	35.00

2025-2026

क्र.सं.	राज्य	मेलों और महोत्सवों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	80.00
2.	चंडीगढ़	50.00
3.	दादरा नगर हवेली दमन और दीव	30.00
4.	गोवा	50.00
5.	हरियाणा	50.00
6.	केरल	84.00
7.	लद्दाख	30.00
8.	मध्य प्रदेश	60.00
9.	मेघालय	80.00
10.	मिजोरम	80.00
11.	नागालैंड	80.00
12.	सिक्किम	20.00
13.	त्रिपुरा	80.00
14.	तमिलनाडु	25.00
15.	तेलंगाना	80.00
16.	उत्तराखंड	50.00
